(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 119/2014 जीसीएमएस नम्बर :– 2014/00195

1. बाबूलाल पुत्र धर्मचन्द
2. सुन्दरलाल पुत्र धर्मचन्द समस्त जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0

.... वादीगण

बनाम

1. मदनसिंह पुत्र भगवानसिंह नवीरा पन्नेसिंह
2. जसरथसिंह पुत्र भगवानसिंह नवीरा पन्नेसिंह
3. गुलाबदेवी पत्नी भगवानसिंह पुत्री शैतानसिंह
4. हमीरसिंह पुत्र भगवानसिंह नवीरा शैतानसिंह
5. सत्यपाल पुत्र भगवानसिंह नवीरा शैतानसिंह
6. उर्मिलाबाई पुत्री भगवानसिंह नवीरा शैतानसिंह
7. रमेशबाई पुत्री भगवानसिंह नवीरा शैतानसिंह
8. सुगनसिंह पुत्र पन्नेसिंह
9. भगवानसिंह दत्तक पुत्र फुलसिंह
10. प्रेमदेवी पत्नी रोहताशसिंह पुत्र मोहनसिंह उर्फ मीनसिंह
11. सतीश पुत्र रोहताशसिंह नवीरा मोहनसिंह उर्फ मीनसिंह
12. रतनसिंह पुत्र रोहताशसिंह नवीरा मोहनसिंह उर्फ मीनसिंह
13. निर्मला पुत्री रोहताशसिंह नवीरा मोहनसिंह उर्फ मीनसिंह
14. बिमला पुत्री रोहताशसिंह नवीरा मोहनसिंह उर्फ मीनसिंह
15. लिक्षमणसिंह पुत्र मोहनसिंह उर्फ मीनसिंह समस्त जाति राजपुत निवासी ढाणा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
16. प्रभातसिंह पुत्र श्योनारायण
17. यादराम पुन मोहरसिह
18. कंवरसिंह पुत्र मोहरसिंह
19. बर्फी पुत्री मोहरू उर्फ मोहरसिंह
20. लीलादेवी उर्फ लीलड़ी पुत्री मोहरू उर्फ मोहरसिंह
21. श्योबाई पुत्री मोहरू उर्फ मोहरसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

22. हरीसिंह पुत्र घडसीराम
23. सावंतसिंह पुत्र घडसीराम
24. माडूसिंह पुत्र घडसीराम समस्त जाति अहीर निवासी इन्द्रसर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
25. निहालसिंह पुत्र भादर
26. सन्तलाल पुत्र भादर
27. विरेन्द्र पुत्र भादर समस्त जाति अहीरान निवासी रसुलपुर तन अहीरान तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
28. सावलराम पुत्र दाताराम .... मृतक
    28/1 अणेची देवी पत्नी स्व. सांवलराम
    28/2 बिशनदयाल पुत्र स्व. सांवलराम
    28/3 दयानन्द पुत्र स्व. सांवलराम
    28/4 अतरसिंह पुत्र स्व. सांवलराम

समस्त जाति अहीरान निवासी रसुलपुर अहीरान तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0

29. शिवचरणसिंह पुत्र भगवानाराम जाति जाट निवासी भिर्र तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज0
30. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कंला तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0
31. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0

..................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी, खाता विभाजन व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:– दिनांक:–28/4/25

वादी का वादपत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां त0 बुहाना में स्थित कृषि भूमी संवत 2023 ते 2026 की जमाबंदी के ख0 न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा भूमी के खातेदार पन्नेसिंह, शैतानसिंह, फुलसिहं पुत्रान कासीसिंह के 3/4 हिस्सा तथा मीनसिंह पुत्र दानसिंह का 1/4 हिस्सा के दर्ज राजस्व रिकार्ड थे।
2. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां त0 बुहाना के गत ख0न0 176 रकबा 20 बिघाा 18 बिश्वा के नये नम्बर ग्राम इन्द्रसर, ढाणी बनने पर नये नम्बर बन गये गत ख0न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा के नये नम्बर ख0न0 117 रकबा 0.40 हैक्टर, ख0न0 118 रकबा 0.77 हैक्टर ख0न0 119 रकबा 0.[illegible] हैक्टर, ख0न0 120 रकबा 0.32 हैक्टर ख0न0 135 रकबा 0.72 हेक्टर [illegible] हैक्टर, ख0न0 137 रकबा 0.32

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)

हैक्टर, ख0न0 138 रकबा 1.09 हैक्टर ख0न0 139 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0न0 140 रकबा 0.27 हैक्टर ख0न0 141 रकबा 0.10 हैक्टर, कुल किता 11 कुल रकबा 5.28 हैक्टर बने है उपरोक्त कृषि भूमी ग्राम पचेरी कलां त0 बुहाना की खातेदारी मे दर्ज थी लेकिन ग्राम पेपेरी कला के तन मे स्थित ग्राम इन्दरसर व ढाणी दोनो राजस्व रिकार्ड मे ग्राम दर्ज होने से यह कृषि भूमी वाके ग्राम इन्दरसर त0 बुहाना राजस्व गांव की खातेदारी मे दर्ज हो गई है।

3. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां त0 बुहाना के खातेदारी कृषि भूमी संवत 2023 से 2026 मे दर्ज व ख0न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा भूमी मे से वादीगण के पिता श्री धर्मचन्द पुत्र श्रीरामजीवन जाति अहीर निवाती इन्दरसर ने दिनांक 18–2–1970 को जरिये विक्रय पत्र श्री मीनसिंह पुत्र धनसिंह उर्फ दानसिंह जाति राजपुत निवासी ढाणा तन पचेरी कला त0 बुहाना जिला झुंझुनू राज0 से नाम दर्ज उसके हिस्से 1/4 में से 1 बिघा 15 बिश्वा कृषि भूमी बिल एवज 3000/– रूपये अक्षरी तीन हजार रूपये मे क्रय की थी तथा क्रेता का खरीदशुदा भूमी पर कब्जा करवा दिया था तथा संवत 2023 से 2026 नामान्तकरण संख्या 522 पर जमाबंदी मे पुर किया गया था।

4. यह कि वाके ग्राम पचेरी कलां त0 बुहाना के गत ख0न0 176 रकबा 20 बिघा 10 बिश्वा मे से मीनसिंह पुत्र धनसिंह उर्फ दानसिंह का हिस्सा 1/4 दर्ज राजस्व रिकार्ड था मे से 1 बिघा 15 बिश्वा कृषि भूमी वादीगण के पिता श्री धर्मचन्द पुत्र रामजीवन ने रिये विक्रय पत्र दिनांक 18–2–1970 को खरीद की थी व कब्जा क्रेता ने कर लिया था तब से निरन्तर रूप से वादीगण का पिता काबिज काश्त रहा है तथा उसके देहान्त के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

5. यह कि वादपत्र मे वर्णीत कृषि भूमि ख0न0 176 रकबा 20 बिश्वा 18 के नये नम्बर ख0न0 117, 118, 119, 120 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 कुल किता 11 कुल रकबा 5.28 हैक्टर बने है जिसका राजस्व रिकार्ड गत 10 रोज पूर्व हल्का पटवारी से वादीगण ने प्राप्त किया तथा राजस्व रिकार्ड गत 10 रोज पूर्व हल्का पटवारी से वादीगण ने प्राप्त किया तथा राजस्व रिकार्ड को देखने से पता चला की राजस्व कर्मचारीयो ने सहवन से वादीगण के पिता द्वारा क्रय की गई कृषि दिनांक 18–2–1970 का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं किया गया है तथा वादीगण ने गत 10 रोज पूर्व वादीगण के पिता द्वारा क्रय की गई कृषि भूमी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किया जाकर दर्ज करने को कहा तो राजस्व कर्मचारियों ने वादीगण का हिस्सा दर्ज रिकार्ड करने से मना कर दिया जिससे वाद कारण पैदा हुआ इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ।

6. यह कि ग्राम पचेरी कलां की गत ख0न0 175 रक[illegible] बिघा 18 बिश्वा मे से मीनसिंह पुत्र दानसिंह उर्फ धनसिंह ने अपने [illegible] के पिता श्री धर्मचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पुत्र श्री रामजीवनसिंह जाति अहीर निवासी इन्द्रसर त0 बुहाना को जरिये विक्रय पत्र दिनाक 18–2–1970 को 1 बिघा 15 बिश्वा भूमी का विक्रय कर दिया था। तथा कबजा क्रेता का करव दिया था। मीनसिंह पुत्र दानसिंह उर्फ धनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण स0 10 लगायत 15 है। वादीगण के पिता द्वारा क्रय की गई कृषि भूमी का नामान्तकरण वादीगण के पिता के नाम नही दर्श होने के कारण प्रतिवादीगण स0 10 लगायत 15 के नाम मीनसिंह का फौतगी इन्तकाल प्रतिवादीगण स0 10 लगायत 15 के नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादीगण स0 10 लगायत 15 के नाम दर्श राजस्व रिकार्ड मे से 1 बिघा 15 बिश्वा कृषी भूमी कम की जाकर वादीगण के नाम होना चाहिये था जो कि राजस्व कर्मचारियो ने सहवन से दर्ज नही किया है।

7. यह कि वादवर्णित कृषि भूमी मे प्रतिवादीगण स0 29 खातेदार होने से प्रतिवादीगण स0 30 के यहा वादवर्णित कृषि भूमी रहन होने के कारण व प्रतिवादीगण स0 31 भू–स्वामी होने के कारण उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है।

8. यह कि वादवर्णित कृषि भूमी का राजस्व रिकार्ड मे वादीगण को उसके हकपूर्वाधिकारी द्वारा क्रय की गई कृषि भूमी के स्थान पर विरासतन इन्तकार कर वादीगण को हिस्सेदार घोषित किया जाकर राजस्व कर्मचारियो द्वारा 10 दिन पूर्व हिस्सेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे वादीगण को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड को दूरूसत किया जाकर वादीगण के हिस्से की भूमी का खाता विभाजन करने को कहा तो वे कर्मचारियो द्वारा मना करने से वाद कारण पैदा हुआ इसलिये दावा अन्दर मियाद पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

(क). कि वाद वादीगण विरूद प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे की वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना के गत ख0 न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा के नये ख0 न0 117 रकबा 0.40 हैक्टर ख0 न0 118 रकबा 0.77 हेक्टर, ख0 न0 119 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0 न0 120 रकबा 0.32 हेक्टर, ख0 न0 135 रकबा 0.72 हेक्टर, ख0 न0 136 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0 न0 137 रकबा 0.32 हेक्टर, ख0 न0 138 रकबा 1.09 हैक्टर, ख0 न0 139 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0 न0 140 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0 न0 141 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.28 हैक्टर भूमी मे से मीनसिंह पुत्र धनसिंह उर्फ दानसिंह के 1/4 हिस्से में से 1 बिघा 15 बिश्वा वादीगण के पिता द्वारा जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18–2–[illegible] हिस्सेदार घोषित किया जाकर मीनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण स0 10 [illegible] हिस्से में से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को 1 बिघा [illegible] बिश्वा कृषि भूमी का खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरुस्त किया जावें ।

(ख). कि वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जाये कि वाके ग्राम पचेरी कला त0 बुहाना के गत ख0 न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा में से मीनसिंह पुत्र धनसिंह उर्फ दानसिंह के हिस्से में से 1 बिघा 15 बिश्वा कृषि भूमी वादीगण के पिता ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18–2–1970 को क्रय की थी जिस पर वादीगण काबिज कास्त है का खाता विभाजन कर अलहदा खाता कायम किया जावे व अलहेदा लगान कायम किया जाये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 31 की तामील सामयक रूप से होकर प्राप्त हुई। बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में` लाई गई। बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम पचेरी कंला स्थित भूमि गत ख0 न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा में से मीनसिंह पुत्र धनसिंह उर्फ दानसिंह के हिस्से में से 1 बिघा 15 बिश्वा कृषि भूमी वादीगण के पिता ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18–2–1970 को क्रय की थी जिस पर वादीगण को खातेदार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादीयों की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील वादी ने बताया कि वादीगण के पिता ने जरिये विक्रय पत्र दिनांक 18–2–1970 को क्रय की थी अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादीगण द्वारा मिशल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2023–2026 प्रदर्श–3, जमाबन्दी सम्वत 2026–2029 प्रदर्श–4, जमाबन्दी सम्वत 2027–2030 प्रदर्श–5, जमाबन्दी सम्वत 2031–2034 प्रदर्श–6, जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 प्रदर्श–7, जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 प्रदर्श–8, जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 प्रदर्श–9, जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 प्रदर्श–10, जमाबन्दी सम्वत 2043–2046 प्रदर्श–11, जमाबन्दी सम्वत 2046–2049 प्रदर्श–12, जमाबन्दी सम्वत 2050–2053 प्रदर्श–13, जमाबन्दी सम्वत 2054–2057 प्रदर्श–14, जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 प्रदर्श–15, जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 प्रदर्श–16,

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

जमाबन्दी सम्वत 2062–2065 प्रदर्श–17, जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श–18, जमाबन्दी सम्वत 2066–2069 प्रदर्श–19, जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श–20, जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श–21, जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 प्रदर्श–22, विक्रय पत्र की प्रतिलिपि प्रदर्श–1, गिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, मौका रिपोर्ट पत्रांक 2303 दिनांक 26.08.2022, शपथ पत्र के आधार पर वादी का दावा स्वीकार किया जाता है।

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना के गत ख0 न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा के नये ख0 न0 117 रकबा 0.40 हैक्टर ख0 न0 118 रकबा 0.77 हेक्टर, ख0 न0 119 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0 न0 120 रकबा 0.32 हेक्टर, ख0 न0 135 रकबा 0.72 हेक्टर, ख0 न0 136 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0 न0 137 रकबा 0.32 हेक्टर, ख0 न0 138 रकबा 1.09 हैक्टर, ख0 न0 139 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0 न0 140 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0 न0 141 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.28 हैक्टर भूमी मे से मीनसिंह पुत्र धनसिंह उर्फ दानसिंह के 1/4 हिस्से में से 1 बिघा 15 बिश्वा वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर मीनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 के हिस्से में से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को 1 बिघा 15 बिश्वा कृषि भूमी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 2303 दिनांक 26.08.2022 तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद वादी को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 28/4/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:07 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज)

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस.
राजस्व वाद सं.– 119/2014 जीसीएमएस नम्बर :– **2014/00195**

बाबूलाल आदि बनाम मदनसिंह आदि

दावा बाबत– घोषणात्मक खातेदारी व रिकार्ड दुरूस्ती

–:निर्णय:–

वादी की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की व शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती मे इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

'' न्यायालय वाद वादीगण स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम पचेरी कलां तहसील बुहाना के गत ख0 न0 176 रकबा 20 बिघा 18 बिश्वा के नये ख0 न0 117 रकबा 0.40 हैक्टर ख0 न0 118 रकबा 0.77 हेक्टर, ख0 न0 119 रकबा 0.30 हैक्टर, ख0 न0 120 रकबा 0.32 हेक्टर, ख0 न0 135 रकबा 0.72 हेक्टर, ख0 न0 136 रकबा 0.72 हैक्टर, ख0 न0 137 रकबा 0.32 हेक्टर, ख0 न0 138 रकबा 1.09 हैक्टर, ख0 न0 139 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0 न0 140 रकबा 0.27 हैक्टर, ख0 न0 141 रकबा 0.10 हैक्टर कुल किता 11 कुल रकबा 5.28 हैक्टर भूमी मे से मीनसिंह पुत्र धनसिंह उर्फ दानसिंह के 1/4 हिस्से में से 1 बिघा 15 बिश्वा वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर मीनसिंह के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 10 लगायत 15 के हिस्से में से राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वादीगण को 1 बिघा 15 बिश्वा कृषि भूमी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार बुहाना से प्राप्त पत्रांक 2303 दिनांक 26.08.2022 तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद वादी को स्वीकार किया जाना उचित पाता है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

Signature Not Verified

यह आज तारीख 28/4/25 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.05.19 17:53:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना